18/6/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकील वादी उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादी का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से रूजू हो। वाद शर्ते दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी – श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)
परिवाद संख्या – 323 / 15
दायर दिनांक – 04.11.2015
निर्णय दिनांक – 18.06.2025

उनवान

1. धनकोरी देवी पत्नी मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
2. मुकेश पुत्र मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
3. अशोक पुत्र मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
4. कमला पुत्री मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
5. उर्मिला पुत्री मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।

–वादीगण–

बनाम

1. बिहारीलाल पुत्र सगरू अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़। (फौत)
1/1 महाबीर पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
1/2 सुधीर पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
1/3 संतोष पुत्री बिहारीलाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़ हाल पत्नि रामकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अटेली जिला–महेन्द्रगढ हरि0।
2. वेदपाल पुत्र सगरू जाति अहीर अनवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
3. माडाराम पुत्र सगरू जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
4. विनोद पुत्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवसी रिवाली तहसील बहरोड़ हाल पत्नि सुरेन्द्र सिंह निवासी ढाणी मातोर की खैरथल।
5. बिमला पुत्र प्रभूदयाल पत्नी महेश कुमार अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
6. सरोज पुत्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
7. गुलाब देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी रिवाली तह0 बहरोड़।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)।
9. कमलेश पुत्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़। हाल पत्नि सत्येन्द्र जाति अहीर निवासी लालपुर तहसील नीमराना। ......**प्रतिवादीगण**

दावा घोषणात्मक

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता वादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1लगायत 7 ग्राम रिवाली तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज. के रहने वाले है तथा आपस में भई बन्द है। आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 11 ऐयर,360 रकबा 48 ऐयर वाके ग्राम रिवाली में स्थित है जो दावे में विवादित आराजी से सम्बोधित कि जावेगी। आराजी खसरा नम्बर 359 व 360 का साबिक नम्बर 284 व 285 से बने है ।साबिक खसरा नम्बर 284 का रकबा 11 बिस्वा व साबिक खसरा 285 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा का मालिक सुरेश चन्द उर्फ घूडाराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमन था। जिसने उपरोक्त आराजी का बयनामा दिनांक 6.07.1971 को 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण 01 लगायत 07

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

को बेचान किया गया। वक्त बयनामा से ही उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीगण के पिता मोतीराम का तथा उसके मरने के बाद वादीगण तथा शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 07 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त बयनाम का इन्तकाल भी वादीगण के पिता के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के नाम 1/2 हिस्सा का दर्ज हो चुका था। लेकिन बाद में राजस्व विभाग कर्मचाहिरयो ने प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 7 से मिलकर वादीगण के पिताजी का नाम बिना अधिकार बिना मौका गलत तरीके से हटा दिया जिसको नाम हटाने का कोई हक व अधिकार नही था। इस कारण हाल जमाबन्दी में वादीगण का नाम नही है। उपरेक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण के अपनी जमीन का रिकर्ड देख तो दिनांक 20.12.2008 को हुई जिस पर ठलका पटवारी से जमाबन्दी के लिए प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 7 को कहा तो साफ मना कर दिया इस पर वादीगण को दावा करना जरूरी हो गया। इस लिए दफा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 11 ऐयर,360 रकबा 48 ऐयर वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 07 का कलमजन कर खसरा नम्बर 359,360 वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड में वादीगण को 1/2 हिससे का खातेदार काश्तकर घोषित किया जावे तथा यह इन्द्राजाज राजस्व रिकोर्ड में भी करवाया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ने अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा चाही गई रिलीफ के आधार वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। शेष प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। इनके बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3, नकल बयनामा प्रदर्श–4, नकल नामान्तकरण संख्या 80 प्रदर्श–5, आदि पेश किये व गवाह पिडब्ल्यू01 मंकेश पुत्र मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली का शपथ पत्र पेश किये है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी। पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित आरजी जमाबन्दी संवत 2061 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.11 व 360 रकबा 0.48 वाके ग्राम रिवाली के खतेदार माडाराम बिहारी वेदपाल पि0 सगरू हिस्सा 3/4, विनोद, सरोज बिमला,कमलेश पुत्रीयान प्रभू दयाल मु0 गुलाब देवी बेबा प्रभू हि0 1/4 अहीर सा0देह खातेदार रहिन हि0 माडा पुत्र सगरू ए.बी.जी.बी. शाखा बहरोड़ दर्ज रिकोर्ड है। जो प्रदर्श–01 से स्पष्ट है। विवादित आरजी वादीगण के पिता के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा का बयनामा दिनांक 06.07.1971 को

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

करवाया गया है। जो प्रदर्श–04 से स्पष्ट है। उक्त आराजी वादीगण के नाम हाल जमाबन्दी में नाम दर्ज नही हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड में किये जाने बाबत इकबाल जवाब दावा पेश किया है। विवादित आराजी में पक्षकारान मुताबिक बयनामा के अनुसार रिकार्ड दर्ज नही होने से वादीगण ने यह वाद पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण बाद सूचना उपस्थित नही आये। जिससे उनकी वादगत आराजी में कोई रूचि नही होना प्रकृट करता है। जिस सूरत में वादीगण का यह वाद पत्र काबिल स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 11 ऐयर, 360 रकबा 48 ऐयर वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 07 का नाम कलमजन कर वादीगण को 1/2 हिससे का सम्भाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 1/2 हिससा प्रतिवादीगण का बददस्तुर रहेगा। इसी कदर राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 18.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी – श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)
परिवाद सख्या – 323 / 15
दायर दिनांक – 04.11.2015
निर्णय दिनांक – 18.06.2025

उनवान

1. धनकोरी देवी पत्नी मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
2. मुकेश पुत्र मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
3. अशोक पुत्र मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
4. कमला पुत्री मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
5. उर्मिला पुत्री मोतीराम जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।

–वादीगण–

बनाम

1. बिहारीलाल पुत्र सगरू अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़। (फौत)
1/1 महाबीर पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
1/2 सुधीर पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
1/3 संतोष पुत्री बिहारीलाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़ हाल पत्नि रामकिशन जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अटेली जिला–महेन्द्रगढ हरि0।
2. वेदपाल पुत्र सगरू जाति अहीर अनवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
3. माडाराम पुत्र सगरू जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
4. विनोद पुत्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवसी रिवाली तहसील बहरोड़ हाल पत्नि सुरेन्द्र सिंह निवासी ढाणी मातोर की खैरथल।
5. बिमला पुत्र प्रभूदयाल पत्नी महेश कुमार अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
6. सरोज पुत्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़।
7. गुलाब देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी रिवाली तह0 बहरोड़।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)।
9. कमलेश पुत्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी रिवाली तहसील बहरोड़। हाल पत्नि सत्येन्द्र जाति अहीर निवासी लालपुर तहसील नीमराना। ......**प्रतिवादीगण**

<u>दावा घोषणात्मक</u>

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता वादी।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 11 ऐयर, 360 रकबा 48 ऐयर वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 07 का नाम कलमजन कर वादीगण को 1/2 हिससे का सम्भाग खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। शेष 1/2 हिससा प्रतिवादीगण का बददस्तुर रहेगा। इसी कदर राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 18.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)